स्पीड पोस्ट/ई–मेल संख्या–6/एफ1–4017/2024 श्र0सं0– 1638

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

मनीष कुमार,
सहायक श्रमायुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

पटना, दिनांक– 27.03.2025

विषयः– मुख्य शीर्ष–2230– श्रम तथा रोजगार–01–श्रम–114–उत्प्रवासी श्रम कल्याण–मांग संख्या–26–उपशीर्ष–0102–अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुनर्वापसी पर व्यय विपत्र कोड–26–2230011140102 (सामान्य श्रेणी) एवं विपत्र कोड–26–2230017890103 (अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरूद्ध आवंटन CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन का विवरण निम्नवत हैः–

2. मुख्य–2230–श्रम तथा रोजगार–01–श्रम–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– मांग संख्या–26–उपशीर्ष–0103–अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड–26–2230017890103) के विषयशीर्ष–0103.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद अन्तर्गत (अनुसूचित जाति) भुगतान के लिए अनुदान की राशि रू0 2,00,000/– मात्र का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0 स0	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि (₹)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	01	2,00,000/–	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के ज्ञापांक–256, दिनांक–**13.03.2025** के आलोक में। (1) मृतक–स्व0 नम्बु राम, आश्रित–मसो0 बिन्दु देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट–गवन्द्री, थाना+प्रखण्ड–ढ़ाका, जिला–पूर्वी चम्पारण।

3. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–3060, दिनांक–11.06.2024 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष–2024–25 में "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि 2,00,000/–(दो लाख) एवं 1,00,000/– (एक लाख) मात्र, प्रति मृतक प्रवासी श्रमिक की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।

4. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई–मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने कि कृपा की जाय।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–256/वि0 दिनांक–26.02.19, पत्रांक–732/वि0 दिनांक–31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक–2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।

6. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

7. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अविलम्ब सक्षम पदाधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

08. विभागीय अधिसूचना सं.–1/आई.एम.एल.–06/2016 श्र.सं.–3023 दि.–14.07.16 के आलोक में लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।

09. आवंटित राशि को नियमानुसार जॉच कर उन्हीं मृतक के आश्रित/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांवित नहीं किया गया हो।

10. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

11. श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

27/03/25

(मनीष कुमार)

सहायक श्रमायुक्त।

ज्ञापांकः 6/एफ1–4017/24 श्र0सं0– 1638 पटना, दिनांक– 27.03.2025

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त–2, प्रभारी प्रशाखा–01, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा–6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण–पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा–01) द्वारा किया जायेगा ।

संबंधित श्रम अधीक्षक से अनुरोध किया जाता है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से अविलम्ब सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरूद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

विश्वासभाजन

27/03/25

(मनीष कुमार)

सहायक श्रमायुक्त,

बिहार, पटना।